

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर एवं उ०व०म०अ०(दक्षिण) बैकुण्ठपुर तथा वनमंडलाधिकारी कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 01- परियोजना का नाम : कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना क्र.-78) म.प्र.-छ.ग. सीमा के कि.मी. 245 से 331 (ग्राम-डुमरिया) जिला-कोरिया सीमा तक दो लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण कार्य-कॉरीडोर योजना। पंजीयन क्रमांक-एफ.पी./सी.जी./रोड/21393/2016
- 02- आवेदक/आवेदक विभाग : मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, परिक्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़
- का नाम
- 03- गैर वानिकी कार्य जिस : दू लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य। हेतु वन भूमि की मांग
- 04- आवेदित क्षेत्र की स्थिति -

जिला
कोरिया

वनमंडल
कोरिया - बैकुण्ठपुर

परियोजना स्थल
क.क्र.-471 लोटान आरक्षित वन एवं ग्राम शिवपुर, उरुमदुगा, आनी, नगर, उमझर, बिशुनपुर, फूलपुर, शिवपुर, सरडी, खरवत, तलवापारा, उरुमदुगा, जमगहना, महोरा, रनई, डुमरिया (वनमंडल की सीमा तक)

05- वनभूमि का विस्तृत विवरण -

	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित भूमि का क्षेत्र 0
क. आरक्षित वन	लोटान आरक्षित वन	471	7.500
ख. सीमांकित संरक्षित वन	-	-	-
ग. असीमांकित संरक्षित वन	-	-	-
योग :-			7.500
घ. राजस्व वन क्षेत्र : (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल)	ग्राम का नाम	खसरा नं.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
	शिवपुर	767	0.12
	उरुमदुगा	476	0.02
		478	0.06
		479	0.14
		486	0.02
		487	0.19

	आनी	40	0.37
		51/5	0.35
		61	0.38
		998	0.54
राजस्व वन का कुल योग			2.190
कुल योग			9.690

06- आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार -

साइट क्वालिटी

: आवेदित स्थल पर साल IIIrd
का वन स्थित है।

घनत्व

: 0.5 से कम

07 - आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण -

प्रजाति	वृक्षों की संख्या		
	वनक्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	योग
साल	27	-	27
सागौन	66	-	66
साजा	05	-	05
हर्रा	07	-	07
बहेरा	01	-	01
जामुन	09	-	09
हल्दू	21	-	21
सेधा	22	-	22
अन्य प्रजाति	89	14	103
योग :-	247	14	261

08- आवेदित क्षेत्र के प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :-

अपर्याप्त

09- आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में)
मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी,
जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें

:- आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के
निर्माण/उन्नयन कार्य से संबंधित
जो मुख्य मार्ग है। मानचित्र में
अंकित है।

10- क्या आवेदित क्षेत्र किसी इकोलाजिकल सेन्सिटिव
क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, वायोस्केपर, रिजर्व,
प्राकृतिक झील वाटरबाडी, आदिवासी सेटलमेन्ट
क्षेत्र धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी.
के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हां तो संक्षिप्त
विवरण प्रतिवेदित करें। :-

नहीं ।

- 11- आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के आस पास 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र के आस-पास 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी, दर्शाया जावें। :- नहीं ।

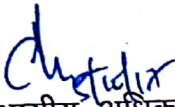
- 12 - आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें। :- नहीं ।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक परीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन एवं राजस्व वन भूमि हेतु प्रस्तावित भूमि 9.690 हे. गैरवानिकी प्रायोजन बावत् अनुसंशा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : कक्षा क्रमांक-471 एवं राजस्व ग्राम शिवपुर, उरुमदुगा एवं आनी नगर, उमझर, बिथुनपुर, फूलपुर, शिवपुर, सरडी, खरवत, तलवापारा, उरुमदुगा, जमगहना, महोरा, रनई, डुमरिया (वनमण्डल की सीमा तक)

निरीक्षण दिनांक : 5.10.2017


अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बैकुण्ठपुर


उप. वनमण्डलाधिकारी
(दक्षिण) बैकुण्ठपुर


वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर